

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
 प्राधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 29, 2001 (आश्विन 7, 1923)
 No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 29, 2001 (ASVINA 7, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2
 [PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अप्पसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
 [Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

दिनांक 31 अगस्त 2001

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 अगस्त 2001

सं० एफ-14/5/एएन-1/जीएन-4631/2001 — अध्यक्ष महोदय, आय कर विभाग में संयुक्त आयुक्त श्री आशुतोष दीक्षित को शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त समिति के कार्य के लिए 28 अगस्त, 2001 के पूर्वाह्न से 28 फरवरी, 2002 अथवा समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए जाने तक, जो भी पहले हो, 12000-375-16500 रुपये के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० पी एफ-2007 (3)/एएन-1/जी-एन-4633/2001— निम्नलिखित व्यक्तियों ने सुरक्षा अधिकारी के रूप में परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है :—

1. श्री सुधी राम
2. श्री सी० पी० सिंह
3. श्री ओ० पी० सम्रा

2. यह अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल 1999 की अधिसूचना सं० पीएफ-2007 (3)/एएन-1/जीएन-4294/99 के क्रम में है।

पी० श्रीधरन, निदेशक

संसदीय सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर-2001

पी० श्रीधरन, निदेशक

सं० ए-19011/6/2001-प्रशा० 1—राष्ट्रपति, श्री पी० टी० बांगड़ी, भा० प्र० से० (हि० प्र० : 65) को 11 सितम्बर

2001 के पूर्वाह्न में मंत्रिमंडल सचिवालय में, सचिव के रैंक एवं वेतन में, विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सुनील मिश्र, उप सचिव

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 6 सितम्बर 2001

सं० ए-19013/4/2001-प्रशासन-राष्ट्रपति, श्रीमती बी० एस० सिन्हा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (हिमाचल प्रदेश : 83) को मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में निदेशक के पद पर दिनांक 4 सितम्बर 2001 के पूर्वाह्न से 5-1-2004 तक या अगले आदेशों तक जो पहले हों, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सी० ए० सुब्रमण्यन, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 2001

सं० ए-19(11)/2001-प्रशा० II—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिनांक 19-7-2001 के आदेश सं० 89/2001-आईआईएस के सहित क्षेत्र प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली के क्षेत्र प्रचार अधिकारी के पद से योजना आयोग में स्थानांतरित हो जाने के परिणामस्वरूप, श्री शाह वासिफ इमाम ने योजना आयोग में दिनांक 20-8-2001 (पूर्वाह्न) से सहायक सूचना अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

के० के० छावड़ा, अवर सचिव

दिनांक 12 सितम्बर 2001

सं० ए-12025/11/2001-प्रशासन-1—राष्ट्रपति, योजना आयोग में नियुक्त वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, डॉ० एस० एम० सिराजुद्दीन को 12000-375-16500 रु० के वेतनमान में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में उप सलाहकार (सामाजिक विकास) के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 12 सितम्बर, 2001 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इन में से जो भी पहले हों, नियुक्त करते हैं।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस तदर्थ नियुक्ति के बल पर डॉ० सिराजुद्दीन को उप सलाहकार के पद पर नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा और ना ही उप सलाहकार के पद पर उनकी इस तदर्थ नियुक्ति की अवधि को उप सलाहकार ग्रेड में वरियता के लिए अथवा अगले उच्च स्तर पर प्रोन्नति के लिए गिना जायेगा।

के० के० छावड़ा, अवर सचिव

संख्यिका और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध)

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 2001

सं० ए-19011/4/2000-प्रशा०-V—राष्ट्रपति श्री अब्दुल हसन, अवर सचिव को स्थानास्थ आधार पर 12000-375-16500/- रुपए के वेतनमान में कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध में दिनांक 9 अगस्त, 1999 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक उप सचिव के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। श्री अब्दुल हसन की उप सचिव पद पर नियुक्ति क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 29/4-2001-ई० ओ० (एम० एम०-I) दिनांक 12 सितम्बर, 2001 में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार निर्देशित होगी।

राम दुलाल मुखोपाध्याय, अवर सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 सितम्बर 2001

सं० 2(13)/96-का० I—राष्ट्रपति जी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र: 72) के अधिकारी, श्री यशवंत श्रीपाव भावे को 18400-500-22400/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 07-09-2001 के पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हों, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया है।

ओम प्रकाश यादव, उप निदेशक

दिनांक 11 सितम्बर 2001

सं० 3(5)/2001-का० I—सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2001 के परिणामों के आधार पर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एतद्वारा निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में 6500-200-10500/- रुपए के वेतनमान में उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीख से निजी सचिव नियुक्त किया है।

1. श्री राजकुमार 27-08-2001 (पूर्वाह्न)
(कर्मचारी कोड सं० 427)
2. श्रीमती अलका खट्टर
(कर्मचारी कोड सं० 401) 28-8-2001 (पूर्वाह्न)
3. श्री शिवराम दास
(कर्मचारी कोड सं० 439) 27-8-2001 (पूर्वाह्न)

आ० पी० यादव, उप निदेशक

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 सितम्बर 2001

सं० 181/2/98—भारत के राष्ट्रपति तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे श्री ए० के० मजूमदार को 17 मार्च, 1999 से आगामी आदेशों तक के लिए भारत निर्वाचन आयोग में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

ललित मोहन, अवर सचिव

सं० 181/2/2000—राष्ट्रपति तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे निम्नलिखित अधिकारियों को 28 अगस्त 2001 से आगामी आदेशों तक के लिए भारत निर्वाचन आयोग में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं -

1. श्री तपस कुमार
2. श्री शंगाराम राम (अ० ज०)
3. श्री के० अजय कुमार और
4. श्री आर० के० श्रीवास्तव

ललित मोहन, अवर सचिव

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 2001

सं० ए-38013/1/2001-प्रशा०-4 (वि० का०)-अ
विधि का आयु होने पर, विधि कार्य विभाग विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के श्री एच० आर० अरोड़ा, निजी सचिव (तदर्थ) दिनांक 31 अगस्त 2001 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

वी० अनंतकृष्णन, उप सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त 2001

सं० के०-11017/8/2001-यू०एस०-I—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात् मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री तगोन्नर कुमार जैन को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बतौर स्थानांतरित करते हैं तथा उन्हें 04 सितम्बर 2001 को अथवा उससे पूर्व कर्नाटक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश देते हैं।

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

दिनांक 21 अगस्त 2001

सं० के०-13020/3/2001-यू० एस०-I—अबकि न्यायमूर्ति डॉ० भगवती प्रसाद सराफ दिनांक 22 अगस्त, 2001 के अपराह्न से जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

अतः अब, राष्ट्रपति जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धारा 100 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोहाटी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम उत्तरवर्ती न्यायाधीश न्यायविद् श्री होटोई खैटेहो सेमा और जो इस समय जम्मू एवं कश्मीर, उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम उत्तरवर्ती न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, को उक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् डॉ० भगवती प्रसाद सराफ द्वारा उक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद का कार्यभार सौंपने की तारीख से जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहण करने के लिए नियुक्त करते हैं।

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

दिनांक 27 अगस्त 2001

सं० के०-11017/8/2001-यू० एस०-II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात् गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री मधराज कल्ला को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बतौर स्थानांतरित करते हैं तथा उन्हें 11 सितम्बर 2001 को अथवा उससे पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश देते हैं।

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

सं० के०-11017/8/2001-यू०एस०-II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात् मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्रीमती तूम मीना कुमारी को आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बतौर स्थानांतरित करते हैं तथा उन्हें 11 सितम्बर 2001 को अथवा उससे पूर्व आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश देते हैं।

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

सं० के०-11017/8/2001-यू०एस०-II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात् मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री विवेकजयंत गोविन्द को बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बतौर स्थानांतरित करते हैं तथा उन्हें 11 सितम्बर 2001 को अथवा उससे पूर्व बम्बई उच्च न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश देते हैं।

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

सं० के-11017/8/2001-यू० एस० II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात्, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री प्रवीण कुमार सरकार को गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बतौर स्थानांतरित करते हैं तथा उन्हें 11 सितम्बर 2001 को अथवा उससे पूर्व गौहाटी उच्च न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

गुर्गदास गुप्ता, संयुक्त सचिव

सं० के-11017/8/2001-यू० एस० II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात्, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री चन्द्रमोहि कुमार प्रसाद को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बतौर स्थानांतरित करते हैं तथा उन्हें 11 सितम्बर 2001 को अथवा उससे पूर्व पटना उच्च न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

गुर्गदास गुप्ता, संयुक्त सचिव

सं० के-11017/8/2001-यू० एस० II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात्, बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री विपक कान्तिनाथ त्रिवेदी को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बतौर स्थानांतरित करते हैं तथा उन्हें 11 सितम्बर 2001 को अथवा उससे पूर्व गुजरात उच्च न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

गुर्गदास गुप्ता, संयुक्त सचिव

सं० के-11017/8/2001 यू०एस० II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात्, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री सिरियक जोसफ को केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बतौर स्थानांतरित करते हैं तथा उन्हें 11 सितम्बर, 2001 को अथवा उससे पूर्व केरल उच्च न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

गुर्गदास गुप्ता, संयुक्त सचिव

सं० के-13028/1/2001-यू० एस० I—भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, (1) श्री ओम-प्रकाश बिस्नोई, (2) श्री अतुल चन्द गोयल और (3) श्री सुबोध चन्द्र को अपना-अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से, उसी बरिष्ठता

क्रम में, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।

गुर्गदास, संयुक्त सचिव

दिनांक 30 अगस्त 2001

सं० के-13024/6/2001-यू० एस० I—भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री कालडिपस्वल् नारायण कूरुप को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उस तारीख से नियुक्त करते हैं, जिस तारीख से श्री मगेंद्र कुमार जैन कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालते हैं।

गुर्गदास गुप्ता, संयुक्त सचिव

दिनांक 31 अगस्त 2001

सं० के-13022/4/2001-यू० एस० I—भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, मुम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री वेल्लूर नारायणस्वामी श्रीकृष्ण को अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

गुर्गदास गुप्ता, संयुक्त सचिव

सं० के-23022/1/2001-यू० एस० I—भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, (1) श्री पतुककोडू राम-स्वामि रामन, (2) श्री कडविलपरमपिल केशवन दिनेशन, (3) श्री कृष्णन नायर बालकृष्णन नायर, (4) श्री चामेतू नारायण-पिल्लै रामचन्द्र नायर, (5) श्री कुट्टन पिल्लै पद्मनाभन नायर को उसी बरिष्ठता क्रम में अपना-अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रत्येक को दो वर्ष की अवधि के लिए, केरल उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

गुर्गदास गुप्ता, संयुक्त सचिव

दिनांक 4 सितम्बर 2001

सं० के-13013/3/2000 यू० एस० I—भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति (1) श्री तामाका गोपीली कुंज और (2) श्री लिंगाला नरसिंहा रेड्डी को उसी बरिष्ठता क्रम में, अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रत्येक को दो वर्ष की अवधि के लिए आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।

गुर्गदास गुप्ता, संयुक्त सचिव

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 फरवरी 2001

सं० पी०एफ०जी० (819)/2001-प्रशा०-I—प्रादेशिक निदेशक, कानपुर के कार्यालय में उप निदेशक (जांच) के पद से उनके स्थानान्तरण के फलस्वरूप भारतीय कम्पनी विधि सेवा (आई सी एल एस) के बरिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी श्री राज सिंह ने 01-02-2001 की पूर्वाह्न से और अगला आदेश होने तक के लिए कम्पनी कार्य विभाग के मुख्यालय में उप निदेशक (जांच) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

सतपाल अवर सचिव

दिनांक 12 जुलाई 2001

सं० ए-12023/7/2001-प्रशा-I—कम्पनी कार्य विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी० एस० एस०) के श्री सी० एम० पंत, सहायक ने प्रतिनियुक्ति आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर उनका खयन होने के परिणामस्वरूप 2 जुलाई, 2001 के पूर्वाह्न से महा-निदेशक, जांच एवं पंजीकरण (डी० जी० आई० एण्ड आर०) के कार्यालय में तीन वर्षों की अवधि या अगला आदेश होने तक के लिए, जो भी पहले हो, अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।

सतपाल, अवर सचिव

दिनांक 30 जुलाई 2001

सं० पी० एफ० जी० (828)/2001-प्रशा०-I राष्ट्रपति, श्री बी० के० ढाल (आई० ए० एस०) (एस० पी० : 66) को कम्पनी कार्य विभाग, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में 30 जुलाई, 2001 के पूर्वाह्न से सचिव, भारत सरकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

सतपाल, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 2001

सं० I-11014/12/2000-आई०पी०एस०-IV—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री पुनीत अरोड़ा, आई० पी० एस० (के० टी० के० 97) को सुश्री कमल प्रीत, आई० एफ० एस० (ए० बी०एस० यू० : 97) के साथ उनका विवाह होने के आधार पर कर्माटक के आई० पी० एस० संवर्ग से ए० जी० एस० यू० के आई० पी० एस० संवर्ग में स्थानान्तरित करते हैं।

जे० बी० कौशिक, डेस्क अधिकारी

सं० I-18011/10/2001-आई०पी०एस०-IV—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के असम-मेघालय (मेघालय खंड) संवर्ग के निम्नलिखित सदस्य को उनके नाम के आगे दर्शाई तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं :-

अधिकारी का नाम	स्थायी होने की तारीख
श्री सुरेश सिंह यादव (आर आर: 1997)	25-8-1999

जे० बी० कौशिक डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 2001

सं० पी०एफ०/जी/160-प्रशा० 1 (ग)—राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के सी०एस०एस० संवर्ग के डेस्क अधिकारी श्री अरुण शर्मा को प्रतिनियुक्ति के आधार पर गृह मंत्रालय में 30 अगस्त, 2001 के अपराह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, 8000-275-13500/- रु० के वेतनमान में सहायक निदेशक (एफ०सी०आर०ए०) के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी०बी० शिवरामन अवर सचिव

दिनांक 17 सितम्बर, 2001

शुद्धि-पत्र

सं० ए-32014/10/2001-प्रशा० 1 (क)—इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 अगस्त 2001 के आंशिक संशोधन में श्री के०एस० संतोषी, अनुभाग अधिकारी की नियुक्ति तिथि को 2-8-2001 के स्थान पर 10-8-2001 पढ़ा जाए।

पी०बी० शिवरामन, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 2001

सं० 14012/4/2000-अ०भा०से० (II)—राष्ट्रपति; भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के मणिपुर-तिपुरा संवर्ग के निम्नलिखित सदस्य को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :-

नाम	वय	स्थायीकरण की तिथि
श्री ए० जितल	1995	4-9-97

न० वेणुगोपालन, अवर सचिव

दिनांक 12 सितम्बर 2001

सं० 14012/2/2000-अ०भा०से० (II)—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग के निम्नलिखित सदस्य को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :—

नाम	वर्ष	स्थायीकरण की तिथि
श्री संजीव जैसवाल	1996	4-9-98

न० वेणुगोपालन, अवर सचिव

सं० 14012/10/2001-अ०भा०से० (II)—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के हिमाचल प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित सदस्य को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :—

नाम	वर्ष	स्थायीकरण की तारीख
श्री सुभाशीष पाण्डा	1997	7-9-99

न० वेणुगोपालन, अवर सचिव

सं० 14012/11/2000-अ०भा०से० (III)—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के नागालैण्ड संवर्ग के निम्नलिखित सदस्य को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :—

नाम	वर्ष	स्थायीकरण की तिथि
पीयूष गोयल	1994	4-9-96

न० वेणुगोपालन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 2001

सं० 13017/31/2001-अ०भा०से० (I)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, उड़ीसा सरकार तथा अगमूट संवर्ग के अधिकारी के रूप में गृह मंत्रालय की सहमति से, श्री विपिन सक्सेना, भा० प्र० से० (आर० आर० : 85) जो कि उड़ीसा संवर्ग के हैं, को मिजोरम के राज्यपाल के सचिव के रूप में नियुक्ति हेतु, अगमूट संवर्ग

में दो वर्षों के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति का अनुमोदन करती है।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर 2001

सं० 39019/3/95-स्था (ख)-खण्ड-II—डॉ० एल० सिद्दीकीरे गौड़ा, सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग ने 5 सितम्बर 2001 अपराह्न से सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग का पद छोड़ दिया है।

श्रीमती प्रतिभा मोहन, निदेशक (ई-II)

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 2001

सं० ए-32013/11/2001-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अवर सचिवों द्वारा इस विभाग में धारित अवर सचिव के पदों का वैयक्तिक आधार पर उन्नयन करके उन्हें वैयक्तिक उन्नयन के/स्वस्थाने आधार पर, अगस्त 9, 1999 पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :

1. श्री के० एस० अचार
2. श्री एन० के० पुष्पाकरन
3. श्रीमती रीता माथुर
4. श्री भरत प्रसाद
5. श्री एच० एस० धीमन

उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति, इस विभाग के दिनांक सितम्बर 12, 2001 के कार्यालय स्थापन संख्या 29/4/2001-ई ओ (एम एम-1) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन है।

राजेश्वर दयाल, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर 2001

सं० 56 (फा० सं० ए० 19013/18/2001-प्रशा०-1)—राष्ट्रपति, श्री अलोक झा, भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के अधिकारी को राजस्व विभाग में दिनांक 3-9-2001 (अपराह्न) से अथवा अगले आदेश होने तक अवर सचिव (प्रतिअदायगी) के पद पर नियुक्त करते हैं।

व्यारे लाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर 2001

सं० 27/10/98-प्रशा०-1 (ग)-सं० 7/2001-
राष्ट्रपति, केरल उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त मुख्य न्याया-
धीन, न्यायमूर्ति सुश्री के० के० उषा को सीमा शुल्क, केन्द्रीय
उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण के
अध्यक्ष के पद पर दिनांक 14 अगस्त 2001 से 3 वर्ष की
अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी
घटना पहले घटित हो, नियुक्त करते हैं।

माधो राम, उप सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 2001

सं० 4/26/2000-करेसी-II (बी० एन० पी०)-
राष्ट्रपति, श्री बी० पी० भल्ला को दिनांक 19-7-2001
(अपराह्न) से अगले आदेशों तक प्रोन्नति आधार पर बैंक नोट
प्रेस, देवास में 8000-13,500/- रु० (संशोधित) के वेतनमान
में नियंत्रण अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर० के० मागो, अवर सचिव

दिनांक 3 सितम्बर 2001

सं० एफ०-4/5/2000-करेसी-II (बी० एन० पी०)-
राष्ट्रपति, श्री मैथिल अक्षर को 18-8-2001 के अपराह्न से
आगामी आदेशों तक बैंक नोट प्रेस, देवास में 8000-13500/
रुपए के वेतनमान (संशोधित) में सहायक निर्माण कार्य प्रबंधक
(मृदा एवं प्लेट निर्माण) के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर० के० मागो, अवर सचिव

कोयला एवं खान मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर 2001

सं० ए०-32014/1/2001-प्रशा०-तत्कालीन कोयला
मंत्रालय और अब कोयला विभाग की दिनांक 20 फरवरी,
2001 की अधिसूचना सं० ए-32014/1/98-प्रशा० की निर-
स्तरता में, राष्ट्रपति, श्रीमती गीता रिश्वा की 6500-200-
10500/- रुपए के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के पद पर
तदर्थ आधार पर नियुक्ति की अवधि को दिनांक 08-8-2001

से 07-02-2002 तक अथवा जब नियमित उम्मीदवार उपलब्ध
हो, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

उपर्युक्त पदोन्नति पूरी तरह तदर्थ आधार पर की जा रही
है और यह तदर्थ पदोन्नति उन्हें नियमित पदोन्नति हेतु कोई
अधिकार प्रदान नहीं करेगी। सरकार के पास किसी भी समय
उनकी तदर्थ पदोन्नति को रद्द करने तथा उन्हें सहायक के पद
पर प्रत्यावर्तित करने का अधिकार रहेगा।

प्रकाश चन्द, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर 2001

सं० ए-5(4)/2001-ईपीजेड-राष्ट्रपति द्वारा श्री टी०
हेनरी फौकलिन, सहायक महा निवेशक, प्रधान मुख्य अभियंता
(इलेक्ट्रिकल) का कार्यालय, दूरसंचार विभाग, चेन्नई को
विकास आयुक्त, मद्रास नियत प्रसंस्करण जोन, चेन्नई के कार्यालय
में प्रनियुक्ति आधार पर 10,000-15,200/- (समूह क) के
वेतनमान में 20-8-2001 से 3 वर्षों की अवधि के लिए या
अगले आदेशों तक उप विकास आयुक्त के पद पर नियुक्त किया
जाता है।

बी० रामाकृष्णन, अवर सचिव

निवेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर 2001

सं० एन०-10/2001 (सं० 6/2179/99-वार्षिक-1)-
राष्ट्रपति, श्री सुब्रत राय, आई० ए० एस० (ए० एम०: 86) के उप
सचिव स्तर के पद का ग्रेड बढ़ाते हुए उनके पद ग्रहण करने की
तारीख से 28-9-2002 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी
पहले हो, से वैयक्तिक तौर पर संयुक्त महानिवेशक विदेश
व्यापार (निवेशक स्तर) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए० के० एम० वाक्कनकर
संयुक्त महानिवेशक, निवेश व्यापार
कृते महानिदेशक विदेश व्यापार

कर्मचारी नियुक्ति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 2001

सं० ए-45011/6/96-अ-1—कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 14/18 मार्च 2001 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/22/2000-सी० एम० के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नाम सी० एस० एस० के ग्रेड-1 (अवर सचिव ग्रेड) की वर्ष 1987 की चयन सूची में शामिल कर लिए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति जी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्न अधिकारियों को सी० एस० एस० के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में नियमित आधार पर नियुक्त करने हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9-5-2000 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सी०एस०एस० के ग्रेड-1 में नियुक्त की गई तारीख	नियुक्ति की मांग तारीख/ नियुक्ति की वास्तविक तारीख	मंत्रालय/विभाग जहाँ वह कार्यरत थे/ वर्तमान में तैनाती
सर्वश्री				
1.	सुनील कुमार लोहानी	(6)	1-7-1987 31-3-1989	औ० नी० और सं० विभाग कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग
2.	शिव कुमार	(45)	1-7-1987 31-3-1989	औ० नी० और सं० विभाग 30-6-1992 को सेवानिवृत्त
3.	एस० बी० पी० सक्सेना	(50)	1-7-1987 4-5-1989	औ० नी० और सं० विभाग 31-1-1992 को सेवानिवृत्त
4.	बी० रामेश्वरन	(65)	1-7-1987 5-2-1990	भारी उद्योग विभाग भारी उद्योग विभाग

यह अधिसूचना इस विभाग के दिनांक 2 मई 2001 की समसंख्यक अधिसूचना के अतिक्रमण में जारी की जाती है।

प्रमिला राधकृष्णन, अवर सचिव

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 2001

सं० ए-19011/2/2001-प्रशा०—कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 जुलाई, 2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/9/2000-सी० एस०-1 के तहत वर्ष 1990 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव ग्रेड) के ग्रेड-1 की चयन सूची में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री गोपाल सिंह का नाम शामिल होने के उपरान्त राष्ट्रपति, उन्हें 1-7-1990 से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड-1 में नियुक्त करते हैं।

के० के० शर्मा, अवर सचिव

के आदेश के अनुसरण में और राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर में जीनी प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति पर विचार करने के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी एस० के० श्रीवास्तव, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (सेवा निवृत्त) को पहली अप्रैल, 1990 से उनकी अधिवृत्ति की तारीख तक वेतन के बकाया को छोड़कर सभी परिणामी लाभों के साथ 3700-5000/- रुपये (संशोधन पूर्व के) के वेतनमान में राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर में जीनी प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर० एन० दास, संयुक्त सचिव

उपभोक्ता मामले विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 2001

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 सितम्बर 2001

सं० सी-18013/2/2000-एस०ए०—श्री एस० के० श्रीवास्तव बनाम भारत संघ और अन्य के मुकदसे में 1992 की ओ० ए० संख्या 1251 में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

सं० ए-32014/1/99 प्रशा०—इस विभाग की दिनांक 16-3-2000 की अधिसूचना संख्या ए-22011/2/98-प्रशा० के क्रम में क्षेत्रीय निवेश मानक प्रयोगशाला, गुवाहाटी में सहायक निदेशक (विश्विक माप विज्ञान) के पद पर श्री बी० ए० पाण्डेय की सेवाओं को वर्तमान निवृत्तन एवं शर्तों पर 20-8-2000 से 30-1-2001 तक की अवधि के लिए आगे बढ़ाने हेतु सक्षम

प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री जे० एन० प्रजापति द्वारा दिनांक 31-1-2001 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद का कार्य-भार ग्रहण कर लिए जाने के परिणामस्वरूप श्री बी० ए० पाण्डेय को दिनांक 30-1-2001 (अपराह्न) से विधिक माप सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

एम० के० नायक, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 2001

सं० एस० एम०/01/024/98—राष्ट्रपति श्री विजय कुमार गुप्ता को 15-6-2001 पूर्वाह्न से तथा अगले आदेश तक 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में समूह “क” सेवा में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में प्रबन्धक, मानचित्र पुनरुत्पादन (वरिष्ठ) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

बी० के० रायचंदानी, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर 2001

सं० 6-7/2000—एफ ई—राष्ट्रपति भारतीय वन सर्वेक्षण के डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ‘बी’ श्री एन एस माथुर को 8000-275-13500 रुपये के वेतनमान में 27 जुलाई 2001 के पूर्वाह्न से भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून में सहायक निदेशक (सांख्यिकी) (ग्रुप ‘ए’ राजपत्रित) के पद पर नियमित आधार पर सहर्ष पदोन्नत करते हैं।

एन० भट्टाचार्य, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 सितम्बर 2001

सं० ए-12012/5/2001-पी-II (.)—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव डा० ए० दामोदरन को 12000-375-16500/- रुपये के वेतनमान में, 1 अगस्त 2001 के पूर्वाह्न से वैयक्तिक/तदर्थ आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में उप सचिव के रूप में, अगले आदेश होने तक डा० दामोदरन द्वारा धारित अवर सचिव के पद को उन्नत करके बनाए गए उप सचिव के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति डा० ए० दामोदरन को उप सचिव के रूप में नियमित नियुक्ति या ग्रेड में वरिष्ठता का कोई दावा करने का अधिकार नहीं देती।

जे० पी० सिंह, उप सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 अगस्त 2001

सं० ए०-31013/1/2001-भा० व० सेवा I—भारतीय वन सेवा (प्रवीक्षा) नियमावली, 1968 के नियम 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए राष्ट्रपति, ए जी एम यू 2-252 GI/2001

दो संयुक्त संवर्ग के निम्न भारतीय वन सेवा प्रविक्षाधिकारियों की प्रत्येक अधिकारी के नाम के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय वन सेवा में पृष्ठ करते हैं :—

अधिकारी का नाम	नियुक्ति का वर्ष	पृष्ठ की तारीख
विशाल गुप्ता	1996	02-06-2000
उमा कान्त	1996	01-06-1999
के० रविचन्द्रन	1996	01-06-1999
मोहन सिंह	1996	01-06-1999
रवि होरो	1996	01-06-1999

जी० पी० हलदर, अवर सचिव

दिनांक 30 अगस्त 2001

सं० ए-19011/13/1996—आई एफ एम 1—श्री पी० के० सेन, भारतीय वन सेवा, झारखण्ड संवर्ग के 1969 बैच के अधिकारी, जो इस समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के वाघ परियोजना में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, को अधिवर्षिता की आवृत्ति होने पर 31 अगस्त, 2001 अपराह्न में मेवानिवृत्त किया जाता है।

जी० पी० हलदर, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 2001

सं० ए०-32018/3/2001—सी० एच० एस०-II—केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के नियमित संवर्ग की डा० (श्रीमती) ए० सी० अबलगांवकर ने अधिवर्षिता वय प्राप्त करने पर अपनी सेवा निवृत्ति के परिणामस्वरूप 31 जुलाई, 2001 के अपराह्न से भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड के अधीन कार्यरत मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन० एफ० एस० जी०) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

यू० सी० नागिया, अवर सचिव

स्वास्थ्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर, 2001

सं० ए०-12025/7/2001—सी० एच० एस०-IV—राष्ट्रपति सच लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० राजीव कपूर को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर उप संवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-2 (नाक, कान, गला) में परिवीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 31 जुलाई, 2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन तैनात करते हैं।

डी० आर० शर्मा, अवर सचिव

सं० ए०-12034/20/2001-सी० एच० एस०-IV—
भारत के राष्ट्रपति, श्री के० आर० नारायणन, राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के लिए डा० शिव कुमार मरीन, को 21 अगस्त, 2001 से अवैतनिक काय-चिकित्सक के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्रम कल्याण संगठन, बेंगलूर के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

डी० आर० शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 2001

सं० ए०-12025/72/84-सी० एच० एस०-I—राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० के० नारायण को 21-9-94 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-75-2800 दक्षता रोध 100-4000/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० के० नारायण को

दिनांक 12 सितम्बर 2001

सं० ए०-12025/93/97 सी० एच० एस०-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० नरेश कुमार सिन्हा को 9-4-2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 1000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० नरेश कुमार सिन्हा को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, इलाहाबाद के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 2001

सं० जेड०-28015/20/99-स्थापना-I—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 4/9/2000-के०से०-I दिनांक 27-7-2001 के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव ग्रेड) की वर्ष 1989 की छयन सूची में नाम सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उस सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में प्रत्येक के सामने दिए गए विवरण के अनुसार नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	सामान्य वरिष्ठता सूची संख्या के साथ अधिकारी का नाम	का० और प्र० विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27-7-2001 के अनुसार के०से० के ग्रेड-I में नियत वरिष्ठता	नियुक्ति की संभावित तिथि नियुक्ति की वास्तविक तिथि	मंत्रालय/विभाग जहाँ पहले कार्यरत थे/वर्तमान तैनाती	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	श्री के० सुन्दरराज (सामान्य व०सू० सं० 2367)	30	1-7-89 4-12-91	—	20-1-92 को निधन हो गया
2.	श्री रमेश चन्द्र (सामान्य व०सू० सं० 2512)	58	1-7-89	—	31-5-93 को सेवा निवृत्त
3.	श्री पी० एल० कपूर (सामान्य व०सू० सं० 2563)	77	1-7-89 19-12-91	स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय (स्वास्थ्य विभाग)	—
4.	श्री जगदीश लाल (सामान्य व०सू० सं० 2636)	87	1-7-89 4-12-91	स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय (स्वास्थ्य विभाग) खाद्य एवं जन वितरण विभाग	—
5.	श्री शिव भगवान (सामान्य व०सू० सं० 2639)	89	1-7-89 4-12-91	विधायी विभाग/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (स्वास्थ्य विभाग)	—

1	2	3	4	5	6
6.	श्री चरनजीत सिंह (सामान्य व. सू. सं. 2644)	92	1-7-89 4-12-91	स्वास्थ्य विभाग गृह मंत्रालय	—
7.	श्री जगदीश कुमार (सामान्य व. सू. सं. 2658)	101	1-7-89 4-12-91	कां. व. प्र. विभाग स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (स्वास्थ्य विभाग)	—
8.	श्री सी० एल० भाटिया (सामान्य व. सू. सं. 2674)	108	1-7-89 4-12-91	—	31-12-2000 को सेवा निवृत्त
9.	श्री ब्रह्मदेव (सामान्य व. सू. सं. 2740)	132	1-7-89 4-12-91	—	31-7-2000 को सेवा निवृत्त

सी० एम० शर्मा, अवर सचिव

सं० जेड०-28015/20/99-स्यामा-1--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 4/9/2000-के० से०-I, दिनांक 27-7-2001 के तहत केन्द्रीय भविष्यमान सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव ग्रेड) को वर्ष 1990 की चयन सूची में नाम सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उस सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में प्रत्येक के सामने दिए गए विवरण के अनुसार नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :—

क्र. सं०	सामान्य परिष्ठता सूची सं० के साथ अधिकारी का नाम	कां० और प्र० विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27-7-2001 के अनुसार के०सं०से०के ग्रेड-I में नियत की गई परिष्ठता	नियुक्ति की मानी गई तिथि/नियुक्ति की वास्तविक तिथि	मंत्रालय/विभाग जहाँ पहले कार्य- कार्यरत थे वर्तमान सेनाती	टिप्पण.
1	2	3	4	5	6
1.	श्री डी० आर० शर्मा (सामान्य व. सू. सं. 2774)	16	1-7-90 4-12-91	रक्षा मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग	—
2.	श्री एस० सी० बाली (सामान्य व. सू. सं. 2785)	22	1-7-90 4-12-91	—	30-11-92 को अभिबर्धितावय प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त
3.	श्री वाई०के० तलवार (सामान्य व. सू. सं. 2831)	39	1-7-90 4-12-91	रक्षा मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग	—
4.	श्री बी० बी० भट्टाचारजी (सामान्य व. सू. सं. 2932)	88	1-7-90 4-12-91	स्वास्थ्य विभाग	—

सी० एम० शर्मा, अवर सचिव

(भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर 2001

सं० ए० 220112/3/99-आई.एस.एम. (ई. 1)---
राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. नफीस अहमद काजमी को भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के अधीन परीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 26 जून, 2001 के पूर्वार्द्ध से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद में चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) के पद पर तैनात करते हैं।

एन० के० लखनपाल, अवर सचिव

दिनांक 12 सितम्बर, 2001

सं० ए-220112/3/99-आई०एस०एम०-(ई० I)---
डा० एम० शमूत ने अपने स्थानांतरण के पश्चात् 11 मई, 2001 के अपराह्न में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (यूनानी), के०स०स्वा०यौ०, दिल्ली के पद का कार्यभार छोड़ दिया और 14 मई, 2001 के पूर्वार्द्ध से उप सलाहकार (यूनानी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, नई दिल्ली के पद का कार्यभार संभाल लिया।

एन० के० लखनपाल, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त 2001

सं० 12022/3/2001-स्था० 1-राष्ट्रपति, श्री प्रभात कुमार, भा०प्रशा०मे० (उत्तर प्रदेश : 85) को दिनांक 9 अगस्त, 2001 के अपराह्न से 15,100-400-18,300 रुपये के बेतनमान में कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) के निजी सचिव के रूप में निदेशक के स्तर पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री प्रभात कुमार, भा०प्रशा०मे० (उत्तर प्रदेश 85) की कृषि मंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्ति मंत्री के निजी सचिवों का प्रशासकीय तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक वह मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद नहीं कर देते अथवा आगामी आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो का गई है।

बी० एम० सही, अवर सचिव

दिनांक 16 अगस्त 2001

सं० 12022/4/2001-स्था० 1-कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 जुलाई, 2001 के का० शा० सं० 4/9/2000-सी० एस०-1 का अनुसरण करते हुए राष्ट्रपतिकेन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड-I चयन सूची, 1990) के निम्नलिखित अधिकारियों को कृषि मंत्रालय, कृषि तथा सहकारिता विभाग में

1-7-1990 से नियमित आधार पर अवर सचिव नियुक्त करते हैं :--

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	का० व प्र० विभाग के दिनांक 27-7-2001 के का० शा० के अनुसार के०स०से० के ग्रेड-I में दी गई वरिष्ठता
	सर्व/श्री	
1.	ए० एस० दिल्ली (सी एस एल नं० 2785)	21
2.	सतबीर सिंह (सी एस एल नं० 3005)	128

बी० एम० सही, अवर सचिव

सं० 12022/4/2001-स्था० 1-कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 जुलाई, 2001 के का० शा० सं० 4/9/2000-सी० एस०-1 का अनुसरण करते हुए राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड-I चयन सूची, 1989) के निम्नलिखित अधिकारियों को कृषि मंत्रालय, कृषि तथा सहकारिता विभाग में 1-7-1989 से नियमित आधार पर अवर सचिव नियुक्त करते हैं :--

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	का० व प्र० विभाग के दिनांक 27-7-2001 के का० शा० के अनुसार के०स०से० के ग्रेड-I में दी गई वरिष्ठता
	सर्व/श्री	
1.	नरेश चन्दर सिंह नेगी (सी एस एल नं० 2447)	38
2.	एम० आर० कपूर (सी०एस०एल० नं० 2648)	93
3.	के० एल० बतरा (सी०एम०एल० नं० 2676)	109

बी० एम० सही, अवर सचिव

सं० 12022/2/2001-स्था०-1-राष्ट्रपति श्री डी० के० सिंह, सहायक निदेशक, लोक सभा सचिवालय को राष्ट्रीय आपदा प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष (श्री शरद पवार) के निजी सचिव के रूप में 10-5-2001 के पूर्वार्द्ध से तीन वर्षों की अवधि के लिए, जैसा कि मंत्रियों के निजी सचिवों को स्वीकार्य है, अथवा उनका कार्यकाल समाप्त होने तक या आगामी आदेशों तक, इसमें जो भी पहले हो, उप सचिव के स्तर पर नियुक्त करते हैं।

बी० एम० सही, अवर सचिव

शुद्धि पत्र

सं० 19011/216/2001-स्था०-5-डा० डी० एन० अवस्थी, उपायुक्त (भागवानी) की मृत्यु की तारीख इस विभाग की दिनांक 1 अगस्त, 2001 की समसंख्यक अधिसूचना में प्रकाशित "31-7-2001" के स्थान पर "30-7-2001" पढ़ी जाए।

बी० एम० सही, अवर सचिव

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई, 2001

काइल सं० 12-1/99-प्रशा०-3—संघ लोक सेवा आयोग की सफाई पर, राष्ट्रपति, डा० विजय कुमार को इस विभाग के अन्तर्गत पशु संगरोध तथा प्रमाणीकरण सेवा, चेन्नई में 8000-275-13500 रुपये के वेतनमान में दिनांक 21-6-2001 के पूर्वार्द्ध से संगरोध अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

डा० विजय कुमार पशु संगरोध तथा प्रमाणीकरण सेवा, चेन्नई में कार्यालय प्रमुख के साथ-साथ आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

पी० एल० जोषड़ा, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 सितम्बर 2001

सं० एक० 15-162/90-स्था०—राष्ट्रपति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 जुलाई, 2001 के कार्यालय ज्ञापन सं० 4/9/2000 सी० एस०-I के अनुक्रम में

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक सितम्बर 2001

सं० ए-23011/1/2001-ई I—कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के का० जा० सं० 4/24/96-सी एस-1 दिनांक 9 मई, 2001 के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री बी० डी० शर्मा का नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I की 1987 की चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति उन्हें, जो इस समय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में के०स०से० के ग्रेड I (अवर सचिव ग्रेड) में उप सचिव (स्वस्थाने) के रूप में कार्यरत हैं, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी की गई के०स०से० के अवर सचिव की संयुक्त वरीयता सूची में उनकी वरीयता के क्रम में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं:—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम और सीएसएल सं०	का० और प्र० वि० के दिनांक 9-5-2000 के का०जा० के अनुसार ग्रेड में नियत वरीयता	नियुक्ति की मानित तिथि	स०प० और रा० मंत्रालय में धारित वर्तमान पद
1.	श्री बी० डी० शर्मा (1913)	18/1987	1-7-1987	उप सचिव (स्वस्थाने)

2. उपर्युक्त अधिकारी की नियमित आधार पर नियुक्ति, अनुमोदित सेवा के प्रयोजनार्थ और अवर सचिव के रूप में कल्पित आधार पर उनके वेतन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ 1 जुलाई 1987 में प्रभावी मानी जाती है। तथापि, कल्पित पुनर्निर्धारण के कारण उच्च वेतन का वास्तविक लाभ, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के यथास्थिति वर्ष 1987 के दौरान और उसके बाद केंद्रीकृत आदेश में उनकी तदर्थ आधार पर प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से मिलेगा।

3. श्री बी० डी० शर्मा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीय आधार पर दिए गए आदेश से इस ग्रेड में उनकी वास्तविक नियुक्ति की तिथि से वेतन के पुनर्निर्धारण के कारण बकाया राशि, यदि कोई हो, के हकदार होंगे।

बी० डी० जैन, अवर सचिव

श्री के० एल० मेहता, के० स० से० (1989 की ग्रेड-I की चयन सूची) की दिनांक 1 जुलाई, 1989 से नियमित आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

गुरवचन सिंह, संयुक्त सचिव

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 2001

सं०-26/1/2001-एसपीजी—स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश सं० ए 22012/12/2001/सीएसएस-II दिनांक 18-5-2001 के परिणामस्वरूप, डा० एच० और० बरलस्कर ने० 2 जुलाई 2001 (पूर्वा०) को उप महानिदेशक (चिकित्सा), बोम्बेयोग भवन, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सफ़िल, कोलकाता-700012 के तौर पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

आर० सी० शर्मा

सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

सं० 26-1/2001-एसपीजी—स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश संख्या ए० 22012/12/2001/सीएसएस-II दिनांक 18-5-2001 के द्वारा डाक विभाग में अपने स्थानांतरण के परिणामस्वरूप, डा० (श्रीमती) प्रीति मेहता ने 18 जून 2001 (पूर्वा०) को उप महानिदेशक (चिकित्सा), डाक विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली के तौर पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

आर० सी० शर्मा

सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

सं० ए-23011/1/2001-ई 1—कामिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कामिक और प्रशिक्षण विभाग) के का० शा० सं० 4/9/2000-सी एस 1 दिनांक 27 जुलाई, 2001 के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 की 1989 और 1990 की चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति इन अधिकारियों को जो इस समय मंडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में के० सं० से० के ग्रेड 1 (अवर सचिव ग्रेड) में कार्यरत हैं, कामिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी की गई के० सं० से० के अनुभाग अधिकारियों की संयुक्त वरीयता सूची में उनकी वरीयता के क्रम में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :—

क्रम अधिकारी का नाम सं० और सीएसएस सं०	का० और प्र० वि० के दिनांक 27-7-2001 के का० शा के० अनुसार ग्रेड 1 में नियत वरीयता	नियुक्ति की मानित तिथि	सं० प० और रा० मंत्रालय में धारित वर्तमान पद
1. यू० एस० तिवारी (2522)	62/1989	1-7-1989	उप सचिव (कामिक/ स्थस्थाने)
2. पी० एस० राणा (2896)	67/1990	1-7-1990	अवर सचिव

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियमित आधार पर नियुक्ति, अनुमोदित सेवा के प्रयोजनार्थ और अवर सचिव के रूप में कल्पित आधार पर उनके वेतन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ क्रमशः 1 जुलाई 1989 और 1 जुलाई 1990 से प्रभावी मानी जाती है। तथापि कल्पित पुनर्निर्धारण के कारण उच्च वेतन का वास्तविक लाभ कामिक और प्रशिक्षण विभाग के यथास्थिति वर्ष 1989 के दौरान और उसके बाद केन्द्रीकृत आदेश से उनकी तदर्थ आधार पर प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से मिलेगा।

3. पूर्वोक्त अधिकारी, कामिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीकृत आधार पर दिए गए आदेश से इस ग्रेड में उनकी वास्तविक नियुक्ति की तिथि से वेतन के पुनर्निर्धारण के कारण बकाया राशि, यदि कोई हो, के हकदार होंगे।

बी० बी० जैन, अवर सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

दिनांक 5 सितम्बर 2001

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त 2001

सं० ई-(जी०पी०)/2000/2/63—राष्ट्रपति जी, मध्य रेलवे के यातायात विभाग के ग्रुप 'बी' के दो निम्नलिखित अधिकारियों की उनके नाम के साथ दी गई तारीख के भारतीय रेल यातायात सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्ति अनुमोदित करते हैं।

क्र० सं० अधिकारी का नाम जन्म तिथि नियुक्ति की तारीख

1. श्री पी० एल० खन्ना 3-6-1953 15-7-1999
2. श्री बी० बी० पठारे 15-3-1945 22-12-1999

आर० के० सिंह, सचिव/रेलवे बोर्ड

दिनांक 4 सितम्बर 2001

सं० ईआरबी 1/2000/2/54—श्री आर० एन० मल्होत्रा भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा, सदस्य (इंजीनियरी), रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन सचिव को 31-8-2001 के अपराह्न से अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

आर० के० सिंह, सचिव रेलवे बोर्ड एवं पदेन अपर सचिव

सं० ईआरबी-1/2001/2/74—श्री आई० आई० एम० एम्० राणा, भारतीय रेल इंजी० सेवा, महाप्रबंधक, पूर्व रेल को 31-8-2001 के अपराह्न से सदस्य (इंजीनियरी), रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

आर० के० मिश्र सचिव, रेलवे बोर्ड एवं पदेन अपर सचिव

सं० ईआरबी-1/2001/2/73—श्री एस० दशरथी, भारतीय रेल यांत्रिकी इंजीनियरी सेवा, महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे को, 31-8-2001 के अपराह्न से सदस्य (यांत्रिक), रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

आर० के० सिंह सचिव, रेलवे बोर्ड एवं पदेन अपर सचिव

दिनांक 13 सितम्बर 2001

सं० ई(जी०पी०) 2000/1/58—राष्ट्रपति जी, भारतीय रेलों के यातायात विभाग के ग्रुप 'बी' के निम्नलिखित 64 अधिकारियों को 27-7-2001 से उनके नाम के साथ दी गई रेलवे में भारतीय रेल यातायात सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्त करने का अनुमोदन करते हैं।

वर्ष 2000-2001 के लिए पैनल

क्र० सं० अधिकारी का नाम (सर्व श्री)

मध्य रेलवे

1. एस० पी० भारद्वाज
2. बी० एस० प्रसाकर
3. एन० के० जैन
4. जे० के० शोख
5. यू० एस० सिसोदिया
6. जे० के० पाण्डे
7. वाई० के० त्रिपाठी
8. बीरेन्द्र वर्मा

पूर्व रेलवे

1. एच० एन० वत्ता
2. आर० मोहन

उत्तर रेलवे

1. चारुकिशोरा (अ० ज० जा०)
2. साबिर अली
3. रमेश कुमार
4. आर० बी० लाल

पूर्वोत्तर रेलवे

1. प्रमोद कृष्ण
2. फकरुद्दीन
3. एम० डी० सिंह
4. एच० आर० आर्य (अ० जा०)

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

1. एस० के० कर्माकर

दक्षिण रेलवे

1. बी० राजागोपालम
2. टी० बालान (अ० जा०)

दक्षिण मध्य रेलवे

1. एम० वेकटेश्वरा राव
2. एन० वी० रमणमूर्ति
3. नानू पायतालियन (अ० ज० जा०)
4. बी० योगानाथ (अ० जा०)

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. जी० एम० एस० नायडू
2. चौ० चन्द्रशेखर राव
3. एम० एस० पाल

पश्चिम रेलवे

1. जे० पी० पाण्डे
2. पी० ए० बनर्जी
3. पी० आर० आघेपोल (अ० जा०)
4. टी० करुणिया (अ० जा०)
5. आर० वी० वासुधामि

वर्ष 2001-2002 के लिए पैनल

क्र०सं० अधिकारी का नाम (संख्या)

मध्य रेलवे

1. एस० मोक्ष सुधाकर
2. जी० एस० अवस्थी

3. के० एम० सक्सेना

4. बी० के० शुक्ल

5. पी० के० पाण्डे

6. रामाधर (अ० ज० जा०)

7. जे० बी० सोनावाने (अ० जा०)

पूर्व रेलवे

1. एस० के० सेनगुप्ता

2. एस० के० चक्रवर्ती

3. बी० एस० कारक (अ० जा०)

उत्तर रेलवे

1. आर० एन० मिश्रा

2. इम्तियाज अहमद

3. किशन चन्द शर्मा

4. बी० पी० इन्दोरिया (अ० जा०)

पूर्वोत्तर रेलवे

1. सोनी लाल (अ० ज० जा०)

2. सन्त बक्स सिंह

3. एस० बी० खरे

दक्षिण रेलवे

1. ए० गोपीनाथन

2. एम० बी० मुरली

3. एम० लिंगाराजू (अ० जा०)

दक्षिण मध्य रेलवे

1. पी० सोमसुन्दरम

2. ए० बी० एस० जगन्नाथ राव

3. एम० लक्ष्मीपति

4. सी० शेषागिरि राव

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. आर० पी० बिस्वास

2. डी० एस० उपाध्याय

3. पी० के० सिंह

पश्चिम रेलवे

1. बी० के० गुप्ता

2. जी० एस० गिल

3. एस० एस० माक (अ० जा०)

4. आर० पी० मीना (अ० ज० जा०)

आर० के० सिंह
मध्य/रेलवे बोर्ड

दिनांक 14 सितम्बर 2001

सं० ई (जी० पी०)/2000/1/54—राष्ट्रपति जी, भारतीय रेलों के विद्युत इंजीनियरी विभाग के कृष्ण "बी" के निम्नलिखित 62 अधिकारियों को 27-7-2001 से उनके नाम के साथ दी गई रेलवे में भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरी सेवा के कनिष्ठ चेतनमान में मूल रूप से नियुक्त करने का अतिमोचन करते हैं :—

वर्ष 2000-2001 का पैनल

क सं. अधिकारी का नाम (सर्वश्री)

मध्य रेलवे

1. एन० एस० भट्ट
2. आर० टी० घांखल
3. ए० के० सोधिया
4. सुरेश कुमार
5. एन० कृष्णामूर्ति
6. सी० जाय पाल
7. टी० एस० राधाकृष्णन

उत्तर रेलवे

1. पी० डी० भोवर
2. जीत सिंह
3. ओ० पी० जयरत (अ० जा०)
4. के० एस० हुसैन
5. आर० सी० आर्य (अ० जा०)

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

1. सुजोय चक्रवर्ती
2. एस० बबणी (अ० जा०)

दक्षिण रेलवे

1. आर० मोहनवास
2. एस० नन्दा कुमार

दक्षिण मध्य रेलवे

1. के० लक्ष्मण राव
2. पी० वी० एस० राधाकृष्णामूर्ति

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. एस० सी० बेरा
2. जी० एस० हरनाथ
3. एम० डी० मंडल (अ० जा०)
3. जे० टी० (अ० जे० जा०)
5. डी० एन० राय

पश्चिम रेलवे

1. वी० एम० जैन
2. एस० आर० बानी
3. आर० के० वर्मा

4. एम० वी० शर्मा

5. के० के० वर्मा

6. के० के० वर्मा (अ० जा०)
सी० एल० डब्ल्यू०

1. अशोक कन्द घोष

डी० एल० डब्ल्यू०

1. ए० एन० कौशल

डब्ल्यू० एण्ड ए० पी०

I. एम० पी० रेणू

वर्ष 2001-2002 के लिए पैनल

क सं. अधिकारी का नाम

मध्य रेलवे

(सर्वश्री)

1. ए० पी० कुलश्रेष्ठा
2. एम० राजन
3. मारसल डीसूजा
4. ताराचन्द्र रणजाक (अ० जा०)

उत्तर रेलवे

1. आई० सेमूअल
2. के० के० गर्ग
3. एम० सी० सोनकर (अ० जा०)
4. एम० एस० भुल्लर
5. चन्द्रकांत घईजस
6. पूरण चन्द्र (अ० जा०)

पूर्वोत्तर रेलवे

1. जी० सी० श्रीवास्तव

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

1. एस० पी० चाकी

दक्षिण रेलवे

1. जी० धनसेखरन
2. एस० सेषाद्री

दक्षिण मध्य रेलवे

1. सी० राजेश्वर राव

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. एस० वी० साहा (अ० जा०)
2. आर० सान्याल
3. जे० एन० चम्प
4. के० एन० दास
5. एस० के० पौल
6. देवाशीश दाम

परिचय रेखा

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 2001

1. एम० जी० वेशपाडे

2. ए० वाई० भिडे

3. एस० एस० सरोडे

4. एस० के० टंडन

5. एम० के० गुप्ता

6. अजय कुमार शेर (अ०जा०)

7. यादवराज (अ०जा०)

सी० एल० डब्ल्यू

1. नुकला वेंकट राव

डी० एल० डब्ल्यू

1. टी० एन० एम० त्रिपाठी

आर० के० सिंह, सचिव/रेलवे बोर्ड

हरदयाल सिंह, अवसर सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 30th August 2001

No. F. 14/5/AN-I/GN-4631/2001.—The Speaker is pleased to appoint Shri Ashutosh Dikshit, Joint Commissioner of Income Tax, as Officer on Special Duty in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- on deputation basis with effect from the forenoon of 28th August, 2001, for the work of Joint Committee on Stock Market Scam and matters relating thereto, upto 28th February, 2002 or till the submission of the Report by the Committee, whichever is earlier.

P. SREEDHARAN, Director

The 31st August 2001

No. PF.2007 (3)/AN-I/GN-4633/2001.—The following persons have successfully completed probation period in the grade of Security Officer —

1. S/Shri

1. Muni Ram

2. C. P. Singh

3. O. P. Sharma

2. This is in continuation of Notification No. PF.2007(3)/AN-I/GN-4294/99 dated 23rd April, 1999.

P. SREEDHARAN, Director

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 11th September 2001

No. A-19011/6/2001-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri P. T. Wangdi, IAS (HP:65) as Officer on Special Duty in the Cabinet Secretariat in the rank and pay of Secretary with effect from the forenoon of 11th September, 2001.

SUNIL MISHRA, Dy. Secy.

(NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT)

New Delhi-110066, the 6th September 2001

No. A-19013/4/2001-Admn.—The President is pleased to appoint Shri B. S. Sihag, I.A.S. (HP:83), as Director in the National Security Council Secretariat, Cabinet Secretariat w.e.f. the forenoon of 4th September, 2001 until 5-1-2004 or until further orders, whichever is earlier.

C. A. SUBRAMANIAN, Dy Secy

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 24th August 2001

No. A. 19(11)/2001-Admn.II.—Consequent upon his transfer from the post of Field Publicity Officer, Directorate of Field Publicity, New Delhi to the Planning Commission vide Ministry of Information and Broadcasting's Order No. 89/2001-IIS dated 19-07-2001, Shri Shah Wasif Iman has assumed charge of the post of Assistant Information Officer in the Planning Commission w.e.f. 20-8-2001 (F/N).

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 12th September 2001

No. A-12025 11/2001-Adm.I.—The President is pleased to appoint Dr. S. M. Sirajuddin, a regular Senior Research Officer of Planning Commission as Deputy Adviser (Social Development) in the Programme Evaluation Organisation of the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- on ad hoc basis for a period of one year w.e.f. 12-9-2001 or until further orders, whichever is earlier.

2. It is made clear that this ad hoc appointment will not bestow on Dr. Sirajuddin any claim for regular appointment in the grade of Deputy Adviser and also that any service rendered by him on ad hoc basis in the grade of Deputy Adviser would neither count for the purposes of seniority in the grade of Deputy Adviser nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME
IMPLEMENTATION

(PROGRAMME IMPLEMENTATION WING)

New Delhi, the 14th September 2001

No. A. 19011/4/2000-AD.V.—The President is pleased to appoint Shri Abrar Hussain, Under Secretary, to the post of Deputy Secretary in the scale of Rs. 12,000-375-16,500/- on in-situ basis in the Ministry of Statistics and Programme Implementation (Programme Implementation Wing) with effect from the forenoon of 9th August 1999 until further orders. The appointment on Shri Abrar Hussain as Deputy Secretary is subject to the terms and conditions mentioned in the Department of Personnel and Trainings OM No. 29/1/2001-EOMM-I) dated the 12th September, 2001.

R. D. MUKHOPADHYAY, Under Secy

MINISTRY OF INFORMATION TECHNOLOGY

New Delhi-110 003, the 7th September 2001

No. 2(13)/96-Pers.I.—The President is pleased to appoint Shri Y. S. Bhawe, IAS (MH:72) as Joint Secretary and Financial Adviser in the Ministry of Information Technology in the scale of pay of Rs. 18400-500-22400/- with effect from the forenoon of 7th September, 2001 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier

O. P. YADAV, Dy. Director

The 11th September 2001

No. 3(5)/2001-Pers.I.—On the basis of results of Limited Departmental Competitive Examination, 2001, Secretary, Ministry of Information Technology hereby appoints the following Personal Assistants as Private Secretary in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- in the Ministry of Information Technology with effect from the dates mentioned against their names :—

1. Shri Raj Kumar (Emp.No.427)—27-8-2001(F/N).
2. Smt. Alka Khattar (Emp. No. 401)—28-8-2001
3. Shri Shivram Dass (Emp. No. 438)—27-8-2001 (F/N).

O. P. YADAV, Dy. Director

SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 7th September 2001

No. 181/2/98/36.—The President of India is pleased to appoint Shri A. K. Majumdar, officiating as Under Secretary on ad-hoc basis, as Under Secretary on regular basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Election Commission of India w.e.f. 17th March, 1999 and until further orders.

LALIT MOHAN, Under Secy.

No. 181/2/2000/38.—The President of India is pleased to appoint the following officers, who are officiating as Under Secretary on ad-hoc basis, as Under Secretary on regular basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Election Commission of India w.e.f. 28th August, 2001 and until further orders :—

1. Shri Tapas Kumar,
2. Shri Shangara Ram (SC),
3. Shri K. Ajaya Kumar and
4. Shri R. K. Srivastava,

LALIT MOHAN, Under Secy.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 31st August 2001

No. A. 38013/1/2001-Adm.IV(LA).—On attaining the age of superannuation, Shri H. R. Arora, Private Secretary (Ad-hoc) in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law, Justice & Company Affairs stands retired from Govt. service with effect from the afternoon of 31st August, 2001.

V. ANANTHAKRISHNAN, Dy. Secy

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi, the 20th August 2001

No. K. 13021/2/2001-US.I In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice

of India, is pleased to transfer Shri Justice Nagendra Kumar Jain, Chief Justice of the Madras High Court, as Chief Justice of the Karnataka High Court and to direct him to assume charge of the office of the Chief Justice of the Karnataka High Court on or before 4th September, 2001.

DURGADAS GUPTA, It. Secy

The 21st August 2001

No. K.13020/3/2001-US.I.—WHEREAS Dr. Justice Bhagwati Prasad Saraf will be retiring as Chief Justice of the Jammu & Kashmir High Court with effect from the afternoon of August 22, 2001

NOWHEREFORE, the President in exercise of the powers conferred by section 100 of the Constitution of Jammu and Kashmir, is pleased to appoint Shri Justice H. Khetoh Sema, seniormost puisne Judge of the High Court of Gauhati and presently working as the seniormost puisne Judge of the High Court of Jammu and Kashmir, to perform the duties of the office of the Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir with effect from the date Dr. Justice Bhagwati Prasad Saraf, Chief Justice of that High Court, relinquishes charge of the office of the Chief Justice of that High Court.

DURGADAS GUPTA, It. Secy.

The 27th August 2001

No. K.11017/8/2001-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice M. R. Calla Judge of the Gujarat High Court, as a Judge of the Rajasthan High Court and to direct him to assume charge of his office in the Rajasthan High Court on or before 11th September, 2001.

DURGADAS GUPTA, It. Secy.

No. K.11017/8/2001-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shrimati Justice T. Meena Kumari, Judge of the Madras High Court, as a Judge of the Andhra Pradesh High Court and to direct her to assume charge of her office in the Andhra Pradesh High Court on or before 11th September, 2001.

DURGADAS GUPTA, It. Secy.

No. K. 11017/8/2001-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Judge J. G. Chitre, Judge of the Madhya Pradesh High Court, as a Judge of the Bombay High Court and to direct him to assume charge of his office in the Bombay High Court on or before 11th September, 2001.

DURGADAS GUPTA, It. Secy.

No. K. 11017/8/2001-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice P. K. Sarkar, Judge of the Gujarat High Court, as a Judge of the Gauhati High Court and to direct him to assume charge of his office in the Gauhati High Court on or before 11th September 2001

DURGADAS GUPTA, It. Secy.

No. K. 11017/8/2001-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice C. K. Prasad, Judge of the Madhya Pradesh High Court, as a Judge of the Patna High Court and to direct him to assume charge of his office in the Patna High Court on or before 11th September, 2001.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

No. K. 11017/8/2001-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice D. K. Trivedi Judge of Bombay High Court, as a Judge of the Gujarat High Court and to direct him to assume charge of his office in the Gujarat High Court on or before 11th September, 2001.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

No. K. 11017/8/2001-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Cyriac Joseph, Judge of the Delhi High Court, as a Judge of the Kerala High Court and to direct him to assume charge of his office in the Kerala High Court on or before 11th September, 2001.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

No. K. 1328/1/2001-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Om Prakash Bishnoi, (ii) Shri Anoop Chand Goyal and (iii) Shri Harbans Lal as Judges of the Rajasthan High Court, in the same order of seniority, with effect from the date they assume charge of their respective office.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

The 30th August 2001

No. K-13021/6/2001-US.I.—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Kaladiparambil Narayana Kurup, Judge of the Madras High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from the date Shri Justice Nagendra Kumar Jain hands over charge of the office of Chief Justice of the Madras High Court to take over as Chief Justice of the Karnataka High Court.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

The 31st August 2001

No. K-13022/4/2001-US.I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Bellur Narayanaswamy Srikrishna, Judge of the Bombay High Court, to be the Chief Justice of the Kerala High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

No. K-13022/1/2001-US.I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Puthucode Ramaswamy Raman, (2) Shri Kadavilparambil Kesavan Denesan, (3) Shri Krishnan Nair Balakrishnan Nair, (4) Shri Chamethu Narayana Pillai Ramachandran Nair and (5) Shri Kuttan Pillai Padmanabhan Nair, to be additional Judges of the Kerala High Court, in that order of

seniority, for a period of two years each with effect from the date they assume charge of their respective office.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

The 4th September 2001

No. K-13013/3/2000-US.I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Tamada Gopalkrishna and (2) Shri Lingala Narasimha Reddy, to be Additional Judges of the Andhra Pradesh High Court, in that order of seniority, for a period of two years each with effect from the date they assume charge of their respective office.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi-110 001, the 6th February 2001

No. PFG (819)/2001-Ad.I.—Consequent on his transfer from the post of the Deputy Director (Inspection) in the Office of Regional Director, Kanpur, Dr. Raj Singh, a Senior Time Scale (Accounts Branch) officer of Indian Company Law Service (ICLS) has assumed charge of the post of Deputy Director (Inspection) at the Headquarters of the Department of Company Affairs with effect from the forenoon of 01-02-2001 and until further orders.

SAT PAL, Under Secy.

The 12th July 2001

No. A-12203/7/2001-Ad.I.—Consequent upon the appointment to the post of Section Officer on deputation, Shri C. M. Pant, an Assistant of Central Secretariat Service (CSS) in the Department of Company Affairs, has assumed charge as Section Officer in the office of the Director General of Investigation and Registration (DGI & R) with effect from the forenoon of July 02, 2001 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

SAT PAL, Under Secy.

The 30th July 2001

No. PFG (828)/2001-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri V. K. Dhall [IAS (MP : 66)], as Secretary to the Government of India in the Department of Company Affairs, Ministry of Law, Justice & Company Affairs with effect from the forenoon of 30th July, 2001.

SAT PAL, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 11th September 2001

No. I-11014/12/2000-IPS-IV.—In exercise of powers conferred by Sub-Rule (2) of Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 the Central Government hereby transfers Shri Puneet Arora, IPS (KTK : 97), from IPS cadre of Karnataka to IPS cadre of AGMU on the ground of his marriage with Ms. Kamal Preet IFS (AGMU : 97).

J. B. KAUSHISH, Desk Officer

No. I-18011/10/2001-IPS-IV.—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service, the following member of the

Indian Police Service, borne on the cadre of ASSAM-MEGHALAYA (MEGHALAYA SEGMENT) with effect from the date mentioned against his name.

Sl. No., Name of the Officer & Date of Confirmation

1. Shri Surender Singh Yadav (RR : 1997), 25-08-1999.

J. B. KAUSHISH, Desk Officer

New Delhi, the 14th September 2001

No. PH/G/160-Ad.I(C).—The President is pleased to appoint Shri Arun Sharma, Desk Officer of CSS Cadre of the Ministry of Home Affairs as Assistant Director (FCRA) in the Ministry of Home Affairs, in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/-, on deputation basis, for a period of three years with effect from the afternoon of 30th August, 2001 or until further orders, whichever is earlier.

P. V. SIVARAMAN, Under Secy

The 17th September 2001

No. A-32014/10/2001-Ad.I(A).—In partial modification of this Ministry's Notification of even number dated 30th August, 2001, the date of appointment of Shri K. S. Santoshi, Section Officer may be read as 10-08-2001 instead of 02-08-2001.

P. V. SIVARAMAN, Under Secy

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS

(DEPTT. OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 10th September 2001

No. 14012/4/2000-AIS. III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954 the President is pleased to confirm in the Indian Administrative Service, the following member of the Indian Administrative Service borne on the Joint Cadre of Manipur-Tripura with effect from the date shown against him :—

S. No., Name, Batch & Date of Confirmation

1. Shri A. Indal, 1995—4-9-1997.

N. VENUGOPALAN, Under Secy

The 12th September 2001

No. 14012/2/2000-AIS. III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954 the President is pleased to confirm in the Indian Administrative Service, the following member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Maharashtra with effect from the date shown against him :—

S. No., Name, Batch & Date of Confirmation

1. Shri Sanjeev Jaiswal, 1996—4-9-1998

N. VENUGOPALAN, Under Secy.

No. 14012/10/2001-AIS. III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954 the President is pleased to confirm in the Indian Administrative Service, the following member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Himachal Pradesh with effect from the date shown against him :—

S. No., Name, Batch & Date of Confirmation

1. Shri Subhashish Panda, 1997—7-9-1999

N. VENUGOPALAN, Under Secy

No. 14012/11/2000-AIS. III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service

(Probation) Rules, 1954 the President is pleased to confirm in the Indian Administrative Service, the following member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Nagaland with effect from the date shown against him :—

S. No., Name, Batch & Date of Confirmation

1. Shri Piyush Goel, 1994—4-9-1996

N. VENUGOPALAN, Under Secy.

New Delhi, the 12th September 2001

No. 13017/31/2001-AIS (1).—In exercise of the powers conferred by Rule 6 (1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Government of Orissa and the Ministry of Home Affairs as the cadre controlling authority for the AGMUT Cadre, the Central Govt. hereby accords approval for inter-cadre deputation of Shri Vipin Kumar Saxena, IAS (RR : 85) borne on the IAS Cadre of Orissa, to AGMUT Cadre for his appointment as Secretary to the Governor of Mizoram for a period of two years or until further order, whichever event takes place earlier.

K. K. SHARMA, Desk Officer

New Delhi, the 13th September 2001

No. 39019/3/95-Est.(B) Vol. II.—Dr. L. Siddaveere Gowda, Member, Union Public Service Commission has demitted office of Member, UPSC w.e.f. the afternoon of 5th September, 2001.

SMT. PRATIBHA MOHAN, Director (E II)

New Delhi, the 14th September 2001

No. A. 32013/11/2001-Adm. I.—The President is pleased to appoint the following Under Secretaries of the CSS as Deputy Secretaries on personal upgradation/in situ bases in this Department by personal upgradation of the posts of Under Secretaries held by them with effect from the forenoon of 9th August, 1999 until further orders :—

1. Shri K. S. Achar
2. Shri N. K. Pushpakaran
3. Smt. Rita Mathur
4. Shri Bharat Prasad
5. Shri H. S. Dhiman

The appointment of the above officers is subject to the conditions specified in this Department's O. M. No. 29/4/2001-EO (MM1) dated 12th September 2001.

RAJESHWAR DAYAL, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 3rd September 2001

No. 56 : (F. No. A. 19013/18/2001-Ad.I).—The President is pleased to appoint Shri Alok Jha, an officer of IC&CES as Under Secretary (Drawback) in the Department of Revenue w.e.f. 3-9-2001 (F/N) or until further orders.

PYARE LAL, Under Secy

New Delhi, the 5th September 2001

No. 7/2001 : (F. No. 27/10/98-Ad.IC).—The President is pleased to appoint Justice Ms. K. K. Usha, retired Chief Justice of Kerala High Court, as President of Customs, Excise

& Gold (Control) Appellate Tribunal, with effect from the forenoon of the 14th August, 2001 for a period of three years or till she attains the age of 65 years, whichever event occurs earlier.

MADHO RAM, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 29th August 2001

No. 4/26/2000-CY-II (BNP).—The President is pleased to appoint Shri V. P. Bhalla, to the post of Control Officer in the scale of pay of Rs. 8,000-13,500/- (revised) in the Bank Note Press, Dewas, on promotion basis w.e.f. 19-7-2001 (afternoon), until further orders.

R. K. MAGGO, Under Secy.

The 3rd September 2001

No. 4/5/2000-Cy-II (BNP).—The President is pleased to appoint Shri Nayyar Akhtar to the post of Assistant Works Manager, (Printing and Platemaking) in the scale of pay of Rs. 8,000-13,500/- (revised) in the Bank Note Press, Dewas w.e.f. 18-8-2001 (afternoon), until further order.

R. K. MAGGO, Under Secy.

MINISTRY OF COAL AND MINES

(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 5th September 2001

No. A-32014/1/2001-Admn.—In continuation of the then Ministry of Coal now Department of Coal's Notification No. A-32014/1/96-Admn. dated the 20th February, 2001, the President is pleased to extend the term of ad-hoc appointment of Smt. Geeta Mishra to the post of Section Officer on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 w.e.f. 8-8-2001 to 7-2-2002 or till regular candidate becomes available, whichever is earlier.

The above mentioned promotion is being made on purely ad-hoc basis and the ad-hoc promotion will not confer on her any right for regular promotion. The Government reserve the right to cancel at any time the ad-hoc promotion and revert her to the post of Assistant.

PARKASH CHAND, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 5th September 2001

No. A-5 (4)/2001-EPZ.—The President is pleased to appoint Shri T. Henry Franklin, Assistant Director General, Office of the Principal Chief Engineer (Electrical), Department of Telecommunications, Chennai as Deputy Development Commissioner, in the Office of the Development Commissioner, Madras Export Processing Zone, Chennai, in the pay scale of Rs. 10000-15200 (Group 'A'), on deputation basis, for a period of three years, with effect from 20-8-2001 or until further orders.

V. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 13th September 2001

No. 6/2125/97-Pers. I/3782.—The President is pleased to appoint Shri Subret Ratho, IAS (MH 786), in the post of Joint Director General of Foreign Trade (Director Level) by upgrading the post held by him from Deputy Secretary

level to Director level as a measure personal to him with effect from the date of his taking over charge of the post at the level of Director till 28-09-2002 or until further orders whichever event takes place earlier.

A. K. M. CHAKANKAR, Jt. Director General of Foreign Trade

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

New Delhi, the 22nd August 2001

No. A-45011/6/96-E. I.—Consequent on the inclusion of their names in the Select List of Grade I of CSS (Under Secretary (Grade) for the year 1987 by the Department of Personnel and Training vide their O. M. No. 4/22/2000 CS. I dated the 14/16th March, 2001, the President is pleased to appoint the following officers of the Central Secretariat Service to the Grade I of CSS (Under Secretary) on a regular basis as per details indicated below :—
Sl. No., Name of the officer, Seniority assigned in Grade I of CSS As per DOPT O.M. dated 09-05-2000, Deemed date of appointment Actual date of appointment and Ministry/Deptt. where working earlier present posting

S/Shri

1. Sunil Kumar Lohani, (6)—01-07-1987/31-03-1989—Deptt. of IPP/DOPT
2. Shiv Kumar, (45)—01-07-1987/31-03-1989—Deptt. of IPP/retired on 30-06-1992
3. M. V. P. Saxena, (50)—01-07-1987/04-05-1989—Deptt. of IPP/retired on 31-01-1992
4. B. Rameshwaran, (65)—01-07-1987/05-02-1990—Deptt. of HI/Deptt. of HI

This is in supersession of this Department's notification of even No. dated 2nd May, 2001.

PRAMILA RAGHAVENDRAN, Under Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi, the 10th September 2001

No. A-19011/2/2001-Admn.—Consequent on inclusion of his name in the Select List of Grade I of CSS (Under Secretary Grade) for the year 1990 by the Department of Personnel & Training vide their Office Memorandum No. 4/9/2000-CS. I dated the 27th July 2001, the President is pleased to appoint Shri Gopal Singh of CSS to the Grade I of CSS (Under Secretary) on a regular basis w.e.f. 1-7-1990.

K. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 3rd September 2001

No. C-18013/2/2000-SA.—In pursuance of the CAT order in OA No. 1251 of 1992 in the case of Sh. S. K. Srivastava v/s UOI & Ors. and on the recommendation of the Departmental Promotion Committee for considering officiating promotion to the post of Professor of Sugar Technology at National Sugar Institute, Kanpur, the President is pleased to appoint Sh. S. K. Srivastava, Senior Technical Officer (Retired) to the post of Professor of Sugar Technology at

National Sugar Institute, Kanpur, in the scale of pay of Rs. 3700—5000 (pre-revised) w.e.f. 1st October 1990 till his date of superannuation, with all consequential benefits except arrears of salary.

R. N. DAS, Jt. Secy.

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 14th September 2001

No. A-32014/1/99-Estt.—In continuation of Notification No. A-22011/2/98-Estt. dated 16-3-2000, the approval of the competent authority is hereby accorded to the extension of Shri B. A. Pandey against the post of Assistant Director (Legal Metrology) in Regional Reference Standard Laboratory, Guwahati, on the existing terms and conditions for a further period from 20-8-2000 to 30-1-2001. Consequent on joining of Shri J. N. Prajapati as Assistant Director (LM) on adhoc basis w.e.f. 31-1-2001 (FN) Shri B. A. Pandey stand as reverted to the post of Metrological Assistant w.e.f. 30-1-2001 (AN).

S. K. NAYAK, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 12th September 2001

No. SM/01/024/98.—The President is pleased to appoint Shri Vijai Kumar Gupta as Manager Map Reproduction (Senior), Survey of India, Group 'A' service in the pay scale of Rs. 10,000-325/15,200/- w.e.f. 15-6-2001 (FN) and until further orders.

B. K. RAICHANDANI, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 3rd September 2001

No. 6-7/2000-FE.—The President is pleased to appoint Shri N. S. Mathur, Data Processing Assistant Grade 'B' of Forest Survey of India to the post of Assistant Director (Stat.) (Group 'A' Gazetted) in the scale of Rs. 8000-275-13,500/- in Forest Survey of India, Dehradun by promotion on regular basis w.e.f. 27th July 2001 (F.N.).

N. BHATTACHARYA, Under Secy.

New Delhi-110003, the 5th September 2001

No. A-12012/5/99-P.II(.).—The President is pleased to appoint Dr. A. Damodaran, Under Secretary of the Central Secretariat Service as Deputy Secretary on personal/ad-hoc basis in the Ministry of Environment & Forests in the scale of pay of Rs. 12,000/375-16,500/- with effect from the forenoon of the 1st August, 2001 and until further orders against the post of Deputy Secretary by upgrading the post of Under Secretary held by Dr. A. Damodaran.

2. The above appointment shall not entitle Dr. A. Damodaran to any claim for regular appointment as Deputy Secretary or seniority in the grade.

J. P. SINGH, Dy. Secy.

New Delhi-110003, the 29th August 2001

No. A-31013/1/2001-IFS-I.—In exercise of the powers conferred under rule 4 of the Indian Forest Service (Probation) Rules, 1968 the President is pleased to confirm the following Indian Forest Service probationers borne on the

AGMUT Joint cadre in the Indian Forest Service with effect from the date(s) indicated against each officer :

Sl. No., Name of the Officer, YOA & Date of Confirmation

1. Vishal Gupta, 1996—02-06-2000
2. Uma Kant, 1996—01-06-1999
3. K. Ravichandran, 1996—01-06-1999
4. Mohan Singh, 1996—01-06-1999
5. Ravi Horo, 1996—01-06-1999

G. P. HALDAR, Under Secy.

The 30th August 2001

No. A-19011/13/96-IFS-I.—Shri P. K. Sen, an officer belonging to the 1969 batch of the Jharkhand cadre of the Indian Forest Service presently working as Director, Project Tiger, Ministry of Environment and Forests will retire on the afternoon of 31st August, 2001 on attaining the age of superannuation.

G. P. HALDAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND F.W.

New Delhi, the 11th September 2001

No. A-32018/3/2001-CHS-II.—Consequent on retirement on superannuation, Dr. (Smt.) A. C. Awalgankar, of regularised cadre of Central Health Service relinquished the charge of the post of Chief Medical Officer (NMSG) working under the India Security Press, Nasik Road on the afternoon of 31st July, 2001.

U. C. NANGIA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 11th September 2001

No. A-12025/7/2001-CHS.IV.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rajeev Kapoor to the post of Specialist Grade-II (ENT) of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of the Central Health Service, on probation and to post him under the Govt. of NCT of Delhi with effect from the forenoon of the 31st July, 2001 and until further orders.

D. R. SHARMA, Under Secy.

No. A-12034/20/2001-CHS.IV.—The President of India, Shri R. K. Narayanan, is pleased to appoint Dr. Shiv Kumar Sarin, as Honorary Physician with effect from 21st August, 2001 for the duration of his tenure as President.

D. R. SHARMA, Under Secy.

New Delhi-110011, the 11th September 2001

No. A-12025/72/94-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. K. Narayan to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 21st September, 1994 until further orders. Dr. D. Narayan is posted as Medical Officer under Labour Welfare Organization, Bangalore.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 12th September 2001

No. A-12025/93/97-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Naresh Kumar Sinha to the Medical Officers Grade of the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from the forenoon of 9-4-2001 until further orders. Dr. Naresh Kumar Sinha is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Allahabad.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 4th September 2001

No. Z. 28015/20/99-Estt. I—Consequent on inclusion of their names in the Select List of Grade-I of CSS (Under Secretary Grade) for the year 1989 vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/9/2000-CS-I dated 27-7-2001, the President is pleased to appoint the following officers of Central Secretariat Service in the Grade-I of the service (Under Secretary) on a regular basis as per detailed indicated against each :

Sl. No.	Name of the Officer with CSL No	Seniority assigned in Gr. I of CSS as per Do PT's O.M. Dated 27-7-2001.	Deemed date of appointment Actual date of appointment	Ministry/ Deptt. where working earlier Present posting	Remarks
1.	Sh. K. Sunderraj (CSL No. 2367)	30	1-7-89 4-12-91	—	Expired on 20-1-92
2.	Sh. Ramesh Chander (CSL No. 2512)	58	1-7-89	—	Retired on 31-5-93
3.	Sh. P.L. Kapur (CSL No. 2563)	77	1-7-89 19-12-91	Dte. GHS (D/o Health)	—
4.	Sh. Jagdeo Lal (CSL No. 2636)	87	1-7-89 4-12-91	Dte. GHS (D/o Health) D/o Food & PD	—
5.	Sh. Shiv Bhagwan (CSL No. 2639)	89	1.7.89 4.12.91	Legislative Deptt. Dte. GHS (D/o Health)	—
6.	Sh. Charanjit Singh (CSL No. 2644)	92	1.7.89 4.12.91	D/o Health) M/o Home Affairs	—
7.	Sh. Jagdish Kumar (CSL. No. 2658)	101	1.7.89 4.12.91	DOPT Dte. GHS (D/o Health)	—
8.	Sh. C. L. Bhatia (CSL. No. 2674)	108	1.7.89 4.12.91		Retired on 31.12.2000
9.	Sh. Braham Dev (CSL. No. 2740)	132	1.7.89 4.12.91		Retired on 31.7.2000

C. M. SHARMA
Under Secy.

No. Z. 28015/20/99-Estt. I—Consequent on inclusion of their names in the Select List of Grade-I of CSS (Under Secretary Grade) for the year 1990 vide Department of Personnel & Training's O. M. No. 4/9/2000-CS-I dated 27.7.2001, the President is pleased to appoint the following Officers of Central Secretariat Service to the Grade-I of that service (Under Secretary) on a regular basis as per details indicated against each :—

Sl. No.	Name of the Officer with CSL No.	Seniority assigned in Gr. I of CSS As per Do PT's O.M. dated 27.7.2001	Deemed date of appointment Actual date of appointment	Ministry/Deptt. where working earlier Present posting	Remarks
1.	Sh. D. R. Sharma (CSL No. 2774)	16	1.7.90 4.12.91	M/o Defence D/o Health	—
2.	Sh. S. C. Bali (CSL No. 2785)	22	1.7.90 4.12.91	—	Retired on superannuation on 30.11.92
3.	Sh. Y. K. Talwar (CSL No. 2831)	39	1.7.90 4.12.91	M/o Defence Do/ Health	—
4.	Sh. B. B. Bhattacharjee (CSL No. 2932)	88	1.7.90 4.12.91	D/o Health	—

C. M. SHARMA, Under Secy.

DEPARTMENT OF ISM & H

New Delhi, the 9th September 2001

No. A-12025/10/97-ISM (Estt.I) —On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Nafis Ahmad Quasmi under the Department of ISM & Homoeopathy, on probation and to post him as Medical Officer (Unani) in CGHS, Hyderabad w.e.f. the forenoon of the 26th June, 2001 until further orders.

N. K. LAKHANPAI, Under Secy.

The 12th September 2001

No. A-220112/3/99-ISM (E-I).—Consequent on his transfer, Dr. M. Shamoon relinquished the charge of the post of Chief Medical Officer (Unani), CGHS, Delhi in the afternoon of 11th May, 2001 and assumed the charge of the post of Deputy Adviser (Unani), Ministry of Health and Family Welfare, Department of ISM & Homoeopathy, New Delhi in the forenoon of the 14th May, 2001.

N. K. LAKHANPAL, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 10th August 2001

No. 12022/3/2001-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Prabhat Kumar, IAS (UP : 85) as Private Secretary to Minister for Agriculture (Shri Ajit Singh) at the level of Director in the pay scale of Rs. 15,100-400-18,300, w.e.f. the afternoon of 9th August, 2001.

2. The appointment of Shri Prabhat Kumar IAS (UP : 85) as Private Secretary to Minister for Agriculture is for a period of three years as admissible to Private Secretaries to Minister or till he ceases to function as PS to Minister or until further orders, whichever event takes place earliest.

B. M. SADDI, Under Secy.

The 16th August 2001

No. 12022/4/2001-Estt.I.—The President is pleased to appoint the following CSS (Grade I Select List, 1989) officers as Under Secretary in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation on a regular basis with effect from 1-7-1990 in pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/9/2000-CSI dated 27th July, 2001 :—

Sl. No., Name of the Officers & Seniority assigned in Grade-I of CSS as per DP & Trg's OM dated 27-7-2001

S/Shri

1. A. S. Dhillon (CSL No. 2785)—21
2. Satbir Singh (CSL No. 3005)—128

B. M. SADDI, Under Secy.

No. 12022/4/2001-Estt.I.—The President is pleased to appoint the following CSS (Grade I Select List, 1989) officers as Under Secretary in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation on a regular basis with effect from 1-7-1989 in pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/9/2000-CSI dated 27th July, 2001 :—

Sl. No., Name of the Officers & Seniority assigned in Grade-I of CSS as per DP & Trg's O M dated 27-7-2001

S/Shri

1. Naresh Chander Singh Negi (CSL No. 2447)—38
2. M. R. Kapoor (CSL No. 2648)—93
3. K. L. Batra (CSL No. 2676)—109

B. M. SADDI, Under Secy.

No. 12022/2/2001-E.I.—The President is pleased to appoint Shri D. K. Singh, Asstt. Director, Lok Sabha Secretariat as Private Secretary to the Vice Chairman, National Committee on Disaster Management (Shri Sharad Pawar) at the level of Deputy Secretary w.e.f. the forenoon of 10-5-2001 for a period of three years as admissible to Private Secretaries to Ministers or till he ceases to function or until further orders whichever event takes place earliest.

B. M. SADDI Under Secy

CORRIGENDUM

No. 19011/217/86-E V —The date of death of Dr. D. N. Awasthi, Deputy Commissioner (Horticulture), appearing in this Department's Notification of even number dated 1st August, 2001, may be read as "30-07-2001" instead of "31-07-2001".

B. M. SADDI, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

New Delhi, the 3rd July 2001

No. 12-1/99-Admn.III.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Vijay Kumar to the post of quarantine Officer, Animal Quarantine & Certification Service, Chennai in the pay scale of Rs. 8000-275-13500 under this Department w.e.f. 21-6-2001 (F/N)

2. Dr. Vijay Kumar will act as DRAWING & DISBURSING OFFICER as well as HEAD OF OFFICE in respect of Animal Quarantine & Certification Service, Chennai.

P. I. CHOPRA, Under Secy

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
(NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES)

New Delhi, the 12th September 2001

No. F. 15-162/90-Estt.—The President is pleased to appoint Shri K. L. Mehta, CSS (Grade I Select list 1989) as Under Secretary on regular basis with effect from 01-7-1989 in pursuance of Department of Personnel and Training O.M. No. 4/9/2000-CSI dated 27th July 2001.

GURBACHAN SINGH, Jt Secy

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110 001, 22nd August 2001

No. 26-1/2001-SPG.—Consequent upon, vide Ministry of Health & Family Welfare order No. A. 22012/12/2001/CHS.II dt. 18-5-2001, Dr. H. R. Barlasakar has assumed charge of Deputy Director General (Medical), Yogayog Bhavan, Office of the Chief Postmaster General, West Bengal Circle, Kolkata-700012 on the forenoon of 2nd July, 2001

R. C. SHARMA, Asstt. Director Gnl. (SGP)

No. 26-1/2001-SPG —Consequent upon her transfer to the Deptt. of Posts vide Ministry of Health & Family Welfare order no. A. 22012/12/2001/CHS.II dt. 18-5-2001, Dr. (Mrs) Preeti Mehta has assumed charge of Deputy Director General (Medical) Deptt. of Posts, Dak Bhavan, New Delhi w.e.f. the forenoon of 18th June, 2001.

R. C. SHARMA, Asstt. Director Gnl. (SGP)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the September 2001

No. A-23011/1/2001-E-1—Consequent on inclusion of the name in the Select Lists of 1937 of Grade I of Central Secretariat Service (CSS) in pursuance of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personnel & Training) OM No. 4/24/96-CS I dated 9th May, 2001, the President is pleased to appoint Sh. B. D. Sharma, an Officer of CSS, presently working as Deputy Secretary (in-situ) in the Ministry of Road Transport & Highways in Grade I (Under Secretary Grade) of CSS on regular basis, in the order of his seniority in the Combined Seniority List of Under Secretary of CSS, issued by the Department of Personnel & Training.

Sl. No	Name of the Officer & CSL No	Seniority assigned in Grade of CSS as per DP & Trg's OM dt. 9-5-2000	Deemed date of appointment	Present post held in the Ministry of RT & H
1	Sh. B. D. Sharma, 1913	18/1987	1-7-1987	Dy. Secretary (W&A) in situ

2. The appointment of the above officer on regular basis is deemed to have been effective with effect from 1st July, 1987 for the purposes of approved service and for fixation of there pay as under Secretary on notional basis. However, the actual benefit of higher pay on account of notional re-fixation will accrue from the date of their initial appointment on ad hoc basis ordered centrally by the Department of the Personnel & Training during the years 1987 and onwards, as the case may be.

3. Shri B. D. Sharma would be entitled for arrears, if any, on account of re-fixation of pay from the date of his actual appointment to the grade ordered on a centralized basis by the Department of Personnel & Training.

B. B. JAIN
Under Secy.

No. A-23011/1/2001-E 1—Consequent on inclusion of their names in the Select Lists of 1939 and 1990 of Grade I of Central Secretariat Service (CSS) in pursuance of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personnel & Training) OM No. 4/9/2000-CS I dated 27th July, 2001, the President is pleased to appoint the following Officers of CSS, presently working in the Ministry of Road Transport & Highways in Grade I (Under Secretary Grade) of CSS on regular basis, in the order of their seniority in the Combined Seniority List of Section officers of CSS, issued by the Department of Personnel & Training :

Sl. No.	Name of the Officer & CSL No.	Seniority assigned in Grade I of CSS as per DP & Trg's OM dt. 27-7-2001	Deemed date of appointment	Present post held in the Ministry of RT & G
1.	S/shri U. S. Tiwari (2522)	62/1989	1-7-1989	Dy. Secretary (personnel/insitu)
2.	P. S. Rana (2896)	67/1990	1-7-1990	Under Secretary

2. The appointment of the above officers on regular basis is deemed to have been effective with effect from 1st July, 1989 and 1990 respectively for the purposes of approved service and for fixation of their pay as Under Secretary on notional basis. However, the actual benefit of higher pay on account of notional re-fixation will accrue from the date of their initial appointment on ad hoc basis ordered centrally by the Department of the Personnel & Training during the years 1989 and onwards, as the case may be.

3. The aforesaid officers would be entitled for arrears, if any, on account of re-fixation of pay from the date of their actual appointment to the grade ordered on a centralized basis by the Department of Personnel & Training.

B. B. JAIN
Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 26th August 2001

No. E(GP) 2000/2/63.—The President is pleased to approve of the undermentioned two Group 'B' officers of Traffic Department of Central Railway being appointed substantively to the Junior Scale of the Indian Railway Traffic Service on that Railway with effect from the date noted against each.

Name of the Officer, Date of Birth and With effect from

1. Shri P. I. Khanna 03-06-53—15-07-1999
2. Shri B. V. Pathare 15-03-45—22-12-1999

R. K. SINGH
Secy./Railway Board

The 4th September 2001

No. ERB-I/2000/2/54.—Shri R. N. Malhotra, IRSE, Member (Engineering), Railway Board and Ex-officio Secretary to the Government of India is appointed as Chairman, Railway Board and ex-officio Principal Secretary to the Government of India, with effect from the afternoon of 31-08-2001.

R. K. SINGH
Secretary, Railway Board
& Ex-Officio Additional Secretary

No. ERB-I/2001/2/74.—Shri I.M.S. Rana, IRSE, General Manager, Eastern Railway is appointed as Member (Engineering), Railway Board and ex-officio Secretary to the Government of India, with effect from the afternoon of 31-08-2001.

R. K. SINGH
Secretary, Railway Board
& Ex-Officio Additional Secretary

The 5th September 2001

No. ERB-I/2001/2/73.—Shri S. Dhasarathy, IRSME, General Manager, Northern Railway is appointed as Member (Mechanical), Railway Board and ex-officio Secretary to the Government of India, with effect from the afternoon of 31-08-2001.

R. K. SINGH
Secretary, Railway Board
& Ex-Officio Additional Secretary

The 13th September 2001

No. F(GP)2000/1/58.—The President is pleased to approve of the undermentioned 64 Group 'B' officers of Traffic Department of Indian Railways being appointed substantively to the Junior Scale of the Indian Railway Traffic Service with effect from 27th July, 2001, on the Railway mentioned.

Panel For The Year 2000-01

S. No., Name of Officer
(S/Shri)

CENTRAL RAILWAY

1. S. P. Bhardwaj
2. B. S. Prabhakar
3. N. K. Jain
4. J. K. Shaikh
5. U. S. Sisodia

6. J. K. Pandey
7. Y. K. Tripathy
8. Dharendra Verma

EASTERN RAILWAY

1. H. N. Dutta
2. R. Mohan

NORTHERN RAILWAY

1. Charu Kispotta(ST)
2. Sabir Ali
3. Ramesh Kumar
4. R. B. Lal (SC)

NORTH EASTERN RAILWAY

1. Pramod Krishna
2. Fakruddin
3. M. D. Singh
4. H. R. Arya(SC)

NORTHEAST FRONTIER RAILWAY

1. S. K. Karmakar

SOUTHERN RAILWAY

1. V. Rajagopalan
2. T. Balan (SC)

SOUTH CENTRAL RAILWAY

1. M. Venkateswara Rao
2. N. V. Ramanamurthy
3. Nanu Paithaliyan (ST)
4. B. Yoganath(SC)

SOUTH EASTERN RAILWAY

1. G. M. S. Naidu
2. Ch. Chandra Sekhar Rao
3. M. S. Pal

WESTERN RAILWAY

1. J. P. Pandey
2. P. A. Banerjee
3. P. R. Adhivol(SC)
4. T. Karupiah(SC)
5. R. V. Vaswani

PANEL FOR THE YEAR 2001-02

S. No., Names of Officers
(S/Shri)

CENTRAL RAILWAY

1. S. Noble Sudhakar
2. G. S. Awasthi
3. K. M. Saxena
4. V. K. Shukla
5. P. K. Pandey
6. Ramadhar(ST)
7. J. B. Sonavane(SC)

EASTERN RAILWAY

1. S. K. Sengupta
2. S. K. Chakraborty
3. B. S. Karak(SC)

NORTHERN RAILWAY

1. R. N. Mishra
2. Imtiaz Ahmed
3. Kishan Chand Sharma
4. V. P. Indoria (SC)

NORTH EASTERN RAILWAY

1. Soney Lal(ST)
2. Sant Bux Singh
3. S. B. Khare

SOUTHERN RAILWAY

1. A. Gopinathan
2. M. V. Murali
3. N. Lingaraju(SC)

SOUTH CENTRAL RAILWAY

1. P. Somasundram
2. A. V. S. Jagannadha Rao
3. M. Laxmipathy
4. C. Seshagiri Rao

SOUTH EASTERN RAILWAY

1. R. P. Biswas
2. D. S. Upadhyay
3. P. K. Singh

WESTERN RAILWAY

1. B. K. Gupta
2. G. S. Gil
3. S. S. Maru(SC)
4. R. P. Meena(ST)

R. K. SINGH
Secy./Railway Board

The 14th September 2001

No. E(GP)/2000 1/54 —The President is pleased to approve of the undermentioned 62 Group 'B' officers of Electrical Engineering Department of Indian Railways being appointed substantively to the Junior Scale of the Indian Railway Service of Electrical Engineers with effect from 27th July, 2001, on the Railway mentioned.

Panel for The Year 2000-01

Sl. No. & Name of Officers
(S/Shri)

CENTRAL RAILWAY

1. N. S. Bhatt
2. R. T. Dhambal
3. A. K. Sodhia
4. Suresh Kumar
5. N. Krishnamurthy
6. C. Joy Paul
7. T. S. Radhakrishnan

NORTHERN RAILWAY

1. P. D. Grover
2. Jeet Singh
3. O. P. Jayant (SC)
4. K. S. Hussain
5. R. C. Arya (SC)

NORTHEAST FRONTIER RAILWAY

1. Sujoy Chakraborty
2. S. Bakshi (SC)

SOUTHERN RAILWAY

1. R. Mohandass
2. N. Nandakumar

SOUTH CENTRAL RAILWAY

1. K. Lakshman Rao
2. P. V. S. Radhakrishnamurthy

SOUTH EASTERN RAILWAY

1. S. C. BERA
2. G. S. Harnath
3. N. D. Mondal (SC)
4. J. TIRU (ST)
5. D. N. Roy

WESTERN RAILWAY

1. V. M. Jain
2. S. R. Wani
3. R. K. Verma
4. M. B. Sharma
5. K. K. Verma
6. K. K. Verma (SC)

C.L.W.

1. Ashok Chandra Ghosh

D.L.W.

1. A. N. Kaushal

W&AP

1. M. P. Renu

PANEL FOR THE YEAR 2001-02

Sl. No. Names of Officers

(S/Shri)

CENTRAL RAILWAY

1. A. P. Kulshreshtha
2. M. Rajan
3. Marcel D' Souza
4. Tarachand Rajak (SC)

NORTHERN RAILWAY

1. I. Samuel
2. K. K. Garg
3. S. C. Sonekar (SC)
4. M. S. Bhullar
5. Chandrakant Ghaizes
6. Puran Chandra (SC)

NORTH EASTERN RAILWAY

1. G. C. Srivastava

NORTHEAST FRONTIER RAILWAY

1. S. P. Chakr

SOUTHERN RAILWAY

1. G. Dhanasekharan
2. S. Seshadri

SOUTH CENTRAL RAILWAY

1. C. Rajeswar Rao

SOUTH EASTERN RAILWAY

1. S. B. Saha (SC)
2. R. Sanyal
3. J. N. Chand
4. K. N. Das
5. S. K. Paul
6. Debasis Das

WESTERN RAILWAY

1. M. G. Deshpande
2. A. Y. Bhide
3. S. S. Sarode
4. S. K. Tanden
5. N. K. Gupta
6. Ajay Kumar Sher (SC)
7. Yad Ram (SC)

C.L.W.

1. Nookla Venkat Rao

D.L.W.

1. T. N. M. Tripathi

R. K. SINGH
Secy./Railway Board

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 12th September 2001

No. 36/2001 (F. No. 25/1/ (20)/2000-E.I.).—On the results of the Engineering Services Examination, 1999, the President is pleased to appoint Shri Shyam Babu Patel to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-A) Service in the scale of Rs. 8000—13500/- in the Central Water Commission w.e.f. 16-8-2001 (FN).

2. Shri Shyam Babu Patel will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining which may be extended, if considered.

HARDAYAL SINGH, Under Secy